365
रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
स्व0 कामता प्रसाद शास्त्री इण्टर कालेज
बदौसा बांदा

पत्रांकः मा0शि0प0/क्षे0का0इ0/मान्यता/ 201 दिनांक 30-5-201

विषयः इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की वर्ष–2020 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा–7क(क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है :–

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11 वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11 वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) प्रतिभूत (जमानत) की धनराशि रू0 10000/– (रू0 5000/– एवं 3000/– प्रति वर्ग/प्रति विषय की दर से) विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पद नाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजें।

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विषेष अपील में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लियरी–फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर वाणिज्य अतिरिक्त वर्ग	हिन्दी	विवरण पत्रिका अनुसार
इण्टर कृषि अतिरिक्त वर्ग	हिन्दी	विवरण पत्रिका अनुसार

टिप्पणी– इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन सं0: मा0शि0प0/क्षे0का0इ0/मान्यता/ दिनांक 20

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा।
2– संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, चित्रकूट धाम मण्डल चित्रकूट।
3– संभागीय उप शिक्षा निदेशक, चित्रकूट धाम मण्डल चित्रकूट।
4– इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
5– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।
6– उपसचिव, सिस्टम सेल मा0शि0प0, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

367

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
राम सजीवन इण्टर कालेज कलवरिया
जवरापुर अतर्रा बांदा

पत्रांकः मा0शि0प0/क्षे0का0इ0/मान्यता/202 दिनांक 30-5-2018

विषयः सीधे (कक्षा-9 व 10)/(कक्षा-6 से 10 तक) हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-7क(क) के अन्तर्गत आपकी संस्था-राम सजीवन इण्टर कालेज कलवरिया जवरापुर अतर्रा बांदा को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष-2020 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वन टाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा-7क(क) के प्रावधानों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:-

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) प्रबन्धाधिकरण कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद को कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।

(5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से की जायेगी।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएं मान्य एवं संचालित नहीं होंगी।

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लियरी–फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

टिप्पणी– इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन सं0:मा0शि0प0/क्षे0का0इ0/मान्यता/ दिनांक 20

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा।
2– समाजीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, चित्रकूट धाम मण्डल चित्रकूट।
3– हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।
4– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।
5– उपसचिव सिस्टम सेल, मा0शि0प0 मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
राम सजीवन इण्टर कालेज
कलवरिया जबरापुर अतर्रा बांदा

पत्रांक: मा0शि0प0/क्षे0का0इ0/मान्यता/ 203 दिनांक 30-4-2018

विषय: इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद् की वर्ष–2020 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा–7क(क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है :–

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11 वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11 वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) प्रतिभूत (जमानत) की धनराशि रू0 **10000/–** (रू0 5000/– एवं 3000/– प्रति वर्ग/प्रति विषय की दर से) विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पद नाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजें।

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विषेष अपील में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लियरी–फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर मानविकी नवीन वर्ग	हिन्दी	अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, नागरिक शास्त्र, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कला एवं संगीत
इण्टर वैज्ञानिक नवीन वर्ग	हिन्दी	अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान।

टिप्पणी– इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन सं0: मा0शि0प0/क्षे0का0इ0/मान्यता/ दिनांक 20

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा।
2– संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, चित्रकूट धाम मण्डल चित्रकूट।
3– संभागीय उप शिक्षा निदेशक, चित्रकूट धाम मण्डल चित्रकूट।
4– इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
5– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।
6– उपसचिव, सिस्टम सेल मा0शि0प0, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

371

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री शंकर कृषक समाज इण्टर कालेज
पुकारी बांदा

पत्रांकः मा0शि0प0/क्षे0का0इ0/मान्यता/204

दिनांक 30-5-2018

विषयः इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद् की वर्ष–2020 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा–7क(क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है :–

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11 वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11 वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) प्रतिभूत (जमानत) की धनराशि रू0 5000/– (रू0 5000/– एवं 3000/– प्रति वर्ग/प्रति विषय की दर से) विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पद नाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजें।

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विषेष अपील में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लियरी–फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर मानविकी नवीन वर्ग	हिन्दी	अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र, अर्थ शास्त्र, कला, एवं गृह विज्ञान।

टिप्पणी– इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन सं0: मा0शि0प0/क्षे0का0इ0/मान्यता/ दिनांक 20

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा।
2– संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, चित्रकूट धाम मण्डल चित्रकूट।
3– संभागीय उप शिक्षा निदेशक, चित्रकूट धाम मण्डल चित्रकूट।
4– इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
5– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।
6– उपसचिव, सिस्टम सेल मा0शि0प0, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।